आर.ई.ओ.– 199

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई)

कमांक / जे.पी.डी / उप.मु.अ.(आर.ई एण्ड प्लान) / अ.अ. / (आर.ई.)प.1201 / प्रे. 556 जयपुर, दिनांक : 18.6.08

संशोधित आदेश

विषय– वर्ष 2008–09 में कृषि कनेक्शन जारी करने के कम में।

इस कार्यालय के आदेश क्र. जे.पी.डी. / मु.अ.(वाणिज्य) / अ.अ.(आर.ई) / प.1201 / प्रे. 3632 दि. 29.03.08 (आर.ई.ओ.–190) के बिन्दु सख्या 1 भाग (II) तथा जे.पी.डी. / मु.अ. (वाणिज्य) / अ.अ.(आर.ई) / प.1201 / प्रे.12 दि. 2.04.08 (आर.ई.ओ.–191) द्वारा सामान्य कृषि श्रेणी के 31 मार्च 2003 तक विचाराधीन आवेदकों, समस्त स्पेशल श्रेणी के आवेदकों, समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों के 50 प्रतिशत आवेदको के मांग पत्र 15 अप्रैल 2008 तक जारी करने तथा शेष आवेदको के मांग पत्र 15 जुलाई 08 से 31 जुलाई 08 तक जारी करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि नीति–2004 (संशोधित 31.03.07) के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदको को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन देय है।

अतः समस्त अनुसूचितजाति के आवेदकों तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति के ग्रामों के अनुसूचित जनजाति के सभी सामान्य श्रेणी के आवेदकों तथा अन्य आवेदक जिन्हें तुरन्त प्राथमिकता के आधार कृषि कनेक्शन देय है, के मांग पत्र तुरन्त जारी कर दिये जाये।

उप मुख्य अभियंता (आर.ई. एण्ड प्लान)